**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

नई दिल्ली › बुधवार, 10 जनवरी 2024 › पौष 20, शक 1945, पौष कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2080 WATCH GOD WA

NB नवभारत

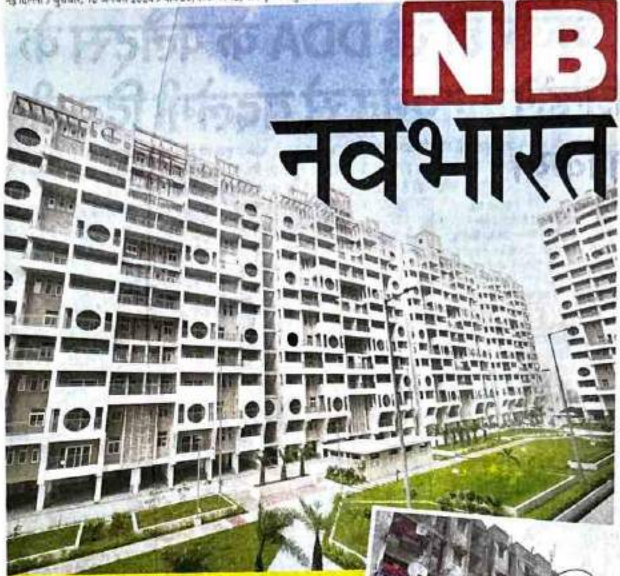

नरेला में पुराने फ्लैट्स की हालत काफी खराब है (नीचे), यहां बने नए फ्लैट (ऊपर)

# कॉलोनियों का हो कायापलट

## NBT का अभियान

**दिल्ली में बड़ी संख्या में डीडीए और हाउसिंग सोसायटियों के ऐसे फ्लैट हैं, जो अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। ऐसे जर्जर हो चुके फ्लैटस और कॉलोनियों को ऐसे किस मॉडल पर रीडिवेलप किया जाए कि लोगों पर बिना वित्तीय बोझ डाले उन्हें उसी जगह आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए मकान मिल सकें। इसी मकसद से नवभारत टाइम्स शुरू कर रहा है खास अभियान।**

### पुराने फ्लैट्स के लिए रीडिवेलपमेंट जरूरी

**50** साल होती है आमतौर पर फ्लैट्स की उम्र

**55** वर्ष पहले 1969 में आई थी DDA की पहली स्कीम

**80** पर्सेंट बिल्डिंग को अनसेफ बताया गया था एक रिपोर्ट में

## 'रीडिवेलपमेंट दिल्ली का'

**अब** वक्त आ गया है कि दिल्ली को फिर से नई दिल्ली बनाने के लिए काम शुरू किया जाए। हम बात कर रहे हैं, उन बहुमंजिला फ्लैटस की, जो अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं। आप भी ऐसी कॉलोनियों को देखते होंगे, जिनके फ्लैट जर्जर हालत में दिखते हैं। डीडीए ने 1969 से 1973 के बीच जो फ्लैट बनाकर अलॉट किए होंगे, उनकी उम्र भी 50 साल हो चुकी है। आमतौर पर ऐसे फ्लैट्स की उम्र सीमा 50 साल ही होती है। यही वजह है कि कई जगह डीडीए या सोसायटी के फ्लैट भी बेहद कमजोर हालत में हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? यही हल खोजने के लिए हम एक खास अभियान 'रीडिवेलपमेंट दिल्ली का' शुरू करने जा रहे हैं। इस कैंपेन के तहत हम ऐसे रिहायशी इलाकों में पहुंचेंगे, जहां इमारतों की हालत खस्ता है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, जो सुझाव देंगे कि ऐसे इलाके में जर्जर मकानों को सुरक्षित मकानों में बदलने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है? इनमें डीडीए फ्लैटस भी होंगे और कुछ हाउसिंग सोसायटी भी। अनधिकृत बस्तियां भी होंगी और पुरानी दिल्ली के संकरे रिहायशी इलाके भी। इस मुहिम का मकसद ही यही है कि दिल्ली वालों को सुरक्षित 'छत' के साथ ही मौजूदा जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं मिलें। इनमें पानी, बिजली, सीवर ही नहीं, बल्कि पार्किंग और ग्रीनरी भी शामिल है।

> मास्टर प्लान 2021 में भी रीडिवेलपमेंट का प्रावधान है। इसमें रीडिवेलपमेंट के लिए डेढ़ गुना तक अधिक एफएआर दिया जा सकता है।
> -एके जैन, पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग), डीडीए

## कैसे चलेगा कैंपेन?

### रिएलिटी चेक

हम जर्जर और पुराने हो चुके डीडीए फ्लैट्स, हाउसिंग सोसायटीज के अलावा अनधिकृत कॉलोनियों और पुरानी दिल्ली के संकरे इलाकों में जाएंगे और पता लगाएंगे कि जर्जर हो गए फ्लैटस को सुरक्षित बनाने के लिए क्या विकल्प है?

### RWAs भी भागीदार

इस कैंपेन में डीडीए फ्लैटस की आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसायटी के साथ स्थानीय लोगों को भी भागीदार बनाएंगे और उनकी राय भी लेंगे कि वे अपनी कॉलोनी को सुरक्षित बनाने के लिए किस विकल्प को चुनना चाहेंगे?

### पॉलिसी रिव्यू

पब्लिक की परेशानियों और जरूरतों को देखते हुए हम परखेंगे कि मास्टरप्लान और सरकारी पॉलिसी में रीडिवेलपमेंट का कितना स्कोप है? दिल्ली के रीडिवेलपमेंट के लिए सरकार के स्तर पर क्या बदलाव किए जाने जरूरी होंगे?

## एक्सपर्ट पैनल

**दिल्ली के रीडिवेलपमेंट को लेकर लोगों की मदद के लिए टाउन प्लानिंग पर हमारा एक्सपर्ट पैनल भी रहेगा। ये लोगों की दुविधाओं और सवालों का समाधान करने में भी मदद करेंगे। एक्सपर्ट लोगों को बताएंगे कि उनकी पॉकेट या सोसायटी के लिए बेहतर विकल्प क्या है?**

**प्रो सीमा खरबंदा**
हेड आर्किटेक्चर और प्लानिंग डिपार्टमेंट, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी

**प्रो. सेवा राम**
स्कूल ऑफ प्लानिंग में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के प्रोफेसर, साथ ही यह सेंटर फॉर रोड सेफ्टी के कॉर्डिनेटर हैं

**एके जैन**
पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग), डीडीए, दिल्ली की प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

**सुमंत शर्मा**
आर्किटेक्ट और रिसर्चर, अर्बन इकनॉमिक्स, सिटी प्लानिंग, रियल इस्टेट डिवेलपमेंट में कई रिसर्च की है।

### पहले भी हुआ रीडिवेलपमेंट

दिल्ली में इसके उदाहरण सीमित हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर गुजरात और मुंबई में इस तरह के कई प्रयास हुए हैं। दिल्ली के सरोजिनी नगर, नेताजी नगर आदि कॉलोनियों का हाल के कुछ साल में रीडिवेलपमेंट किया गया है। हालांकि ये सभी कॉलोनियां सरकारी थी और रीडिवेलपमेंट का काम भी सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने किया है। इसके अलावा डीडीए ने कालकाजी झुग्गी बस्ती की जगह फ्लैट्स बनाने के लिए भी इसी तरह का मिलता-जुलता मॉडल अपनाया है।

### मास्टर प्लान में क्या?

इस तरह के प्लान के लिए 2021 और 2041 के मास्टर प्लान में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि रीडर्स को पता चल सके कि इस तरह के मामले में क्या कानूनी प्रावधान है।

### सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर पाठकों के मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्टस की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। अपनी इस ईमेल के सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

# जर्जर हो रहे DDA के फ्लैट्स के रीडिवेलपमेंट से बदलेगी दिल्ली

**डीडीए के पुराने बसे इलाकों में रीडिवेलपमेंट न सिर्फ जरूरत है, बल्कि इसकी मांग भी लगातार उठ रही है। लोगों का कहना है कि अगर रीडिवेलपमेंट होगा तो उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि यह कैसे होगा, यह उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। पेश है इस मसले पर पूनम गौड़ की स्पेशल रिपोर्ट।**

दिल्ली में जर्जर होने के कगार पर कई कॉलोनियां हैं और वहां रहने वाले लोग रीडिवेलपमेंट चाहते हैं। हालांकि यह कैसे हो, इसके बारे में कई सवाल भी हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अपनी उम्र पूरी करने के साथ ही जर्जर हो रहे फ्लैटस को नए सिरे से बनाने का एक तरीका सरकारी कॉलोनियों के रिडिवेलपमेंट प्लान की तर्ज पर हो सकता है। इस तरीके से साउथ दिल्ली की कई सरकारी कॉलोनियों को नए सिरे से बनाया गया है। सरकार मदद के तौर पर एफएआर बढ़ाकर दे सकती है। किसी कॉलोनी में चार मंजिल के फ्लैट्स है और वहां एफएआर बढ़ने के बाद छह या सात मंजिल बन जाती हैं तो ऐसे में बिल्डर उस कॉलोनी में अतिरिक्त बनने वाले फ्लैट्स बेचकर बाकी फ्लैटों के निर्माण का खर्च निकाल सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि डीडीए फ्लैट्स वाली कॉलोनी में रहने वाले हाउसिंग सोसायटी बनाकर इसी तरह के रीडिवेलपमेंट के प्लान का भी विकल्प हो सकता है।

**रीडिवेलपमेंट चाहते तो हैं लोग, लेकिन होगा कैसे? बताने वाला कोई नहीं**

नसीरपुर में जनता फ्लैट्स की हालत तो और भी बुरी है। यह फ्लैट्स गिरने की कगार पर है। कुछ फ्लैट बंद है। सीढ़ियां उखड़ रही हैं। पानी की सप्लाई नहीं है।

**NBT कायापलट**
*घर वही, सूरत नई*

- **DDA के लगभग 25 से 30 साल पुराने फ्लैट्स अब हो चुके हैं जर्जर**
- **जिनके पास विकल्प था, वे अपने फ्लैट्स में किरायेदार रखकर शिफ्ट हुए**
- **जिनके पास विकल्प नहीं, वे बिना सुविधाओं के ही रहने को मजबूर**

## 22 साल में नसीरपुर के फ्लैट्स बेहाल...

नसीरपुर के फ्लैट्स को बने करीब 22 साल हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यह फ्लैट पुराने हैं और कुछ खाली भी हैं। इसलिए इनकी हालत खराब होती जा रही है। कई लोगों ने अपने फ्लैट पूरी तरह रिनोवेट करवा लिए हैं और अब वे किसी भी तरह से डीडीए के फ्लैट नहीं लगते। इसके बावजूद यहां न पार्किंग की जगह है, न कोई सुविधा। सोसायटी के अंदर सड़क ऊंची होने से बारिश के दिनों में यहां जलभराव हो जाता है। चार मंजिल के फ्लैट्स हैं। इनमें लिफ्ट नहीं है। बाउंड्री वॉल काफी छोटी हो चुकी है और आसानी से असामाजिक तत्व कूदकर अंदर आ जाते हैं।

नसीरपुर में जनता फ्लैट्स की हालत तो और भी बुरी है। यह फ्लैट्स गिरने की कगार पर हैं। जिनके पास विकल्प थे, उन्होंने यह फ्लैट्स किराये पर चढ़ा दिए। कुछ फ्लैट बंद हैं। सीढ़ियां उखड़ रही हैं। पानी की सप्लाई कई साल से नहीं है। पानी के टैंकर के सहारे काम चलता है। सोसायटी की सड़कों के नाम पर मिट्टी बची है। नसीरपुर के ही ईडब्ल्यूएस फ्लैट पराशि कुंज के मैप पर इसके दो गेट हैं। एक गेट कई साल से बंद है। इस अपार्टमेंट में करीब 560 फ्लैट्स हैं। इनमें से 60 से 70 फ्लैट्स खाली हैं। यह फ्लैट्स भी 30 साल पुराने हैं। कुछ फ्लैट्स की बालकनी काफी कमजोर हो चुकी है। बालकनी में पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। इन पेड़ों के बड़े होने के साथ दरारें आना तय है।

### क्या हैं दिक्कतें?

**डीडीए के फ्लैट्स की लाइफ 50 साल की होती है।**

एक्सपर्ट के अनुसार, खराब मेंटिनेंस की वजह से 30 से 35 साल में ही दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी के यह फ्लैट्स खराब होने लगते हैं। डीडीए की पहली हाउसिंग स्कीम 1969 में आई थी। तब इन स्कीमों में फ्लैट्स की जगह प्लॉट अलॉट किए जाते थे। तब से अब तक डीडीए 54 हाउसिंग स्कीम ला चुका है। इनमें कई कैटिगरी के 4,17,063 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इनमें से बिंदापुर, नसीरपुर, सफदरजंग, जनकपुरी, कालकाजी, शालीमार बाग जैसे इलाकों में बने फ्लैट्स 25 से 30 साल पुराने हैं।

### क्या कहते हैं नसीरपुर के लोग

छत पर जाने का कोई रास्ता डीडीए ने नहीं दिया है। छत काफी जर्जर हो चुकी है। पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में सोसायटी में हर तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं। *- डॉ अनिल भाटिया*

ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना है। जरा सी बारिश में पानी भर जाता है। घरों में सीलन आ रही है। कंक्रीट की क्वॉलिटी भी अच्छी नहीं है, इसलिए यह कई जगहों पर उखड़ रही है। *- कृष्ण कंडारा*

कई फ्लैट गिरने की स्थिति में आ गए हैं। सीढ़ियों में दरारें हैं। पानी की सप्लाई नहीं है। सोसायटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब इसमें रिपेयरवर्क से काम नहीं चलेगा। *- रणबीर सिंह चौहान*

कई बंद पड़े फ्लैट अब गिरने की कगार पर हैं। हम चाहते हैं कि यहां पर रीडिवेलपमेंट हो, लेकिन यह होगा कैसे यह नहीं पता। विभाग हमें समझाए तो शायद कुछ रास्ता निकले। *- मीरा सिंह*

### मेंटिनेंस के नियम

- फ्लैट मालिक को अपने फ्लैट के अंदर की मेंटिनेंस खुद करवानी होती है। पजेशन लेने के बाद डीडीए की जवाबदेही नहीं है।
- बाकी छोटी जरूरतों के लिए आरडब्ल्यूए के पास यह पावर है कि वह फ्लैट मालिकों से कुछ पैसा जमाकर फंड बनाए और मरम्मत के छोटे काम करवाए। इस तरह की मेंटिनेंस में लिफ्ट, ग्रीन एरिया, सफाई और बिजली के बिल शामिल हैं।
- बड़ी रिपेयर जैसे सोसायटी में वाटर टैंक या पेंट करवाने के लिए डीडीए ने जिन सोसायटियों से मेंटिनेंस चार्ज लिए हैं, वहां यह काम डीडीए तय शर्तों के अनुसार करवाती है।

### क्या कहते हैं एक्सपर्ट

## 'दिल्ली में 50 लाख से भी ज़्यादा बिल्डिंग अनसेफ'

डीडीए के पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग) एके जैन के अनुसार दिल्ली को रीडिवेलपमेंट की सख्त जरूरत है। 2006 में आई तेजेंद्र खन्ना कमिटी की रिपोर्ट में दिल्ली की 80 प्रतिशत बिल्डिंग को अनसेफ बताया गया था। इसमें पुरानी दिल्ली, करोल बाग, पहाड़गंज, सब्जी मंडी के अलावा ग्रामीण एरिया में बनी बिल्डिंग शामिल थीं। अब इनकी संख्या 50 लाख से अधिक होगी।

मास्टर प्लान 2021 में भी रीडिवेलपमेंट का प्रावधान है। इसमें री-डिवेलपमेंट के लिए डेढ़ गुना तक अधिक एफएआर दिया जा सकता है। इसके मुताबिक रीडिवेलपमेंट के लिए काफी अड़चनें भी आ रही हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आरडब्ल्यूए को एकजुट होना पड़ेगा। समस्या यह है कि कई लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन खरीदते हैं, कई लोग विदेशों में सेटल हो चुके होते हैं। डीडीए के फ्लैट्स में लोगों ने अतिक्रमण कर अपनी जगह को ही बढ़ा लिया है। ऐसे में रीडिवेलपमेंट हुआ तो उन्हें उस जगह का हक छोड़ना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रीडिवेलपमेंट में कई एजेंसियां शामिल होंगी। ऐसे में इस काम में पेचीदगियां भी अधिक हैं। डीडीए को चाहिए कि वह अपने स्टाफ क्वॉर्टर या किसी सरकारी कॉलोनी का रीडिवेलपमेंट कर दिल्ली के सामने एक मॉडल रखे। इसके बाद लोगों को समझाना आसान होगा। अभी रीडिवेलपमेंट के लिए एजेंसियों में भी टकराव की स्थिति है। एजेंसियों को लगता है कि रीडिवेलपमेंट के बाद उनके लिए काम नहीं रह जाएगा। उनकी पावर कम हो जाएगी।

### ऐसे समझें पूरी बात

| स्कीम | 2010 से पहले की | 2010 | 2014-17 |
|---|---|---|---|
| मेंटिनेंस चार्ज लिया | नहीं | हां | हां |
| कॉमन एरिया की मेंटिनेंस | RWA | DDA | DDA |
| एस्क्रो अकाउंट | नहीं | नहीं | हां |
| मेंटिनेंस | RWA तय करेगी | DDA | DDA |

### किस कैटिगिरी के कितने फ्लैट

**टोटल: 4,17,063**

| | |
|---|---|
| जनता | 86,764 |
| एलआईजी | 117858 |
| एमआईजी | 60473 |
| एचआईजी | 3715 |
| ईडब्ल्यूएस | 1154 |
| ईएचएस | 24045 |
| एसएफएस | 70054 |

### ग्रुप हाउसिंग

**टोटल- 888**

| | |
|---|---|
| कुल फ्लैट्स | 1,14,135 |
| फ्रीहोल्ड कन्वर्जन | 80336 |
| पेंडिंग | 33799 |

### को-ऑपरेटिव ग्रुप बिल्डिंग सोसायटी

**कुल - 118**

| | |
|---|---|
| अलॉटेड फ्लैट | 31201 |
| फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीज | 34253 |
| लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज | 3948 |

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS--- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 10 जनवरी 2024

# गांवों के विकास के लिए 250 करोड़ की परियोजनाएं मंज़ूर

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

गांवों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (DVDB) ने मंगलवार को 250 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पैसों से गांवों में नई पक्की सड़कें और पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बनाई जाएंगी। दिल्ली सरकार के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में ग्राम विकास की परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को टाइमलाइन फिक्स करने का निर्देश भी दिया गया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज, ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक और ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।

**नई पक्की सड़कें और पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बनेंगी**

गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई

बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड की पिछली बैठक तक 759 करोड़ रुपये की 564 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनके जरिए 194 गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब 250 करोड़ रुपये और सेंक्शन किए गए हैं। इस तरह चालू वित्त वर्ष 2023-24 तक गांवों में विकास कार्य कराने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है। इन पैसों से गांवों में सड़कें, नालियां, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान घाट, खेल के मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शहरीकृत गांवों में विकास कार्य एमसीडी और डीडीए के माध्यम से ही किए जाएंगे, जबकि डिवेलपमेंट विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कराएगा।

बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला भी उठाया, जिसके बाद अधिकारियों को सेंक्शन्ड प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही परियोजनाओं की वीकली मॉनिटरिंग के लिए के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी हर हफ्ते रिव्यू करके यह देखेंगे कि परियोजनाओं पर काम किस गति से आगे बढ़ रहा है।

# द्वारका में फ्लैट का झांसा देकर 40 को ठगा, अरेस्ट

■ विस, नई दिल्ली : लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए से जमीन लेकर हाउसिंग सोसायटी में शानदार फ्लैट के सपने दिखा करीब 40 लोगों को चूना लगाने वाले आरोपी को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने प्रदीप सहरावत को दबोचा है, जो द्वारका इलाके का ही रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि इसने पांच करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। ये इससे पहले छह ऐसे ही ठगी के केसों में शामिल रहा है।

**आरोपियों ने पांच करोड़ रुपये से ज्यादा रकम इकट्ठा की**

डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि वैभव कुमार सिंह और अन्य की शिकायत पर 11 फरवरी 2021 में इस मामले का केस दर्ज किया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

--------------DATED--------------------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JANUARY 10, 2024

A STEP TOWARDS REDEVELOPING RURAL, URBANISED VILLAGES

# CCTVs, ponds and parks top priority list in village revamp

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** While district magistrates and senior officials of Delhi government and Delhi Development Authority (DDA) stayed overnight in a few villages on Monday to take feedback from residents on development work they wanted in their respective areas, a tentative list of infrastructure work has been simultaneously prepared based on initial interaction with villagers.

According to officials, redevelopment of ponds, waterbodies, parks, playgrounds and cremation facilities, maintenance of existing village chaupal and community centres, and installation of streetlights and CCTV cameras are some of the major works that would be carried out in all rural and urbanised villages.

"Based on the feedback received from the villagers during the stay of officials and suggestions being sent by people, an area-wise final list would be prepared by the end of this month," said an official.

To provide necessary infrastructure on the gram sabha land handed over to DDA by the revenue department, lieutenant governor VK Saxena in December launched Dilli Gramodaya Abhiyan (DGA) and pledged to spend nearly Rs 800 crore of funds, which were also transferred to the development agency, for the same. The LG also held an interaction with people at his residence earlier this month and asked them to give their suggestions to develop the urbanised and rural villages.

On his directions, all 11 district magistrates and senior IAS officers along with the officials of the stakeholder departments have also been interacting with villagers to understand their requirements. Officials said the LG might also choose to spend a night at one of the villages and interact with common people.

The construction of *vyayamshalas* (gymnasiums) and libraries, infrastructural projects such as sewage treatment plants and rainwater harvesting, and the removal of encroachment and protection of land are other works that are likely to be taken up in villages.

Officials said the distribution of funds would be made village-wise and escrow accounts would be opened for releasing money for development projects. "Out of the funds, 60% would be distributed in the current financial year while the rest would be allotted in subsequent years as per need," said an official. "The works will be required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction," the official added.

**AN OFFICIAL SAYS**

**Based on the feedback received from the villagers during the stay of officials and suggestions being sent by people, an area-wise final list will be prepared by the end of this month**

हिन्दुस्तान

# लैंड पूलिंग के नाम पर ठगी में इंजीनियर धरा

**शिकंजा**

**नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।** दिल्ली पुलिस ने डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर 31 लोगों से ठगी करने के मामले में कंप्यूटर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय प्रदीप सहरावत के तौर पर हुई। जांच में इन पीड़ितों से पांच करोड़ रुपये की ठगी करने का अनुमान है।

कृषि कुंज निवासी डॉक्टर वैभव सिंह सहित 30 लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि प्रदीप सहरावत ने दो रियल इस्टेट फर्म के बारे में विज्ञापन दिया था। इसमें बताया गया था कि डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत करीब दस एकड़ में वह सस्ता फ्लैट बनाकर बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए कुछ रकम निवेश करनी थी। वर्ष 2019 तक फ्लैट देने का वादा किया गया था। साथ ही, निवेश के तीन साल तक करीब नौ फीसदी वार्षिक ब्याज देने का वादा भी किया गया था। इसके बाद पूरी रकम वापस कर दी जाती। पीड़ितों ने वर्ष 2015 में निवेश किया और जब फ्लैट नहीं मिला तो आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी। फिर पुलिस ने वर्ष 2021 में केस दर्जकर जांच शुरू की तो ऐसे ही छह और मामलों की बारे में जानकारी मिली। जांच में मालूम हुआ कि यह परियोजना रेरा के तहत पंजीकृत नहीं थी और डीडीए से ऐसी कोई योजना भी स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पांच जनवरी को नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।

**आयरलैंड से बीटेक कर रियल इस्टेट कारोबार से जुड़ा**

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोचनपुर गांव निवासी प्रदीप ने वर्ष 2007 में आयरलैंड के एक संस्थान से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया था। इसके बाद विदेश में इंटेल कंपनी में नौकरी करने लगा। वह वर्ष 2014 में वापस लौटकर रियल इस्टेट कारोबार से जुड़ गया। इस बीच डीडीए द्वारा लैंडपूलिंग की बात की जा रही थी। आरोपी ने बताया कि उसे अनुमान था कि वर्ष 2018-19 तक लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस कारण रुपये लेकर जमीन खरीदने की योजना बनाने लगा था। फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

 SPAPERS------ -DATED------

# द्वारका में फ्लैट देने के बहाने 40 लोगों से की धोखाधड़ी

## लैंड पूलिंग के नाम पर शिकार बनाने वाला दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: द्वारका में फ्लैट देने के बहाने 40 निवेशकों से पांच करोड़ रुपये वसूलकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपित को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप सहरावत नाम का यह आरोपित लैंड पूलिंग नीति मामले का मास्टरमाइंड है। आरोपित इसी तरह की कार्यप्रणाली के छह अन्य मामलों में शामिल रहा है। आरोपित ने डीडीए अनुमोदित भूमि बताकर निवेशकों को प्रस्तावित परियोजना ईडन हाइट्स व क्रिस्टल रेजीडेंसी में फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी की थी।

डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक 11 फरवरी 2021 द्वारका में रहने वाले वैभव कुमार सिंह समेत कुछ अन्य पीड़ितों ने आर्थिक अपराध शाखा में डीडीए की लैंड पूलिंग पालिसी धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थीं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें कैंप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों ने एल-जोन, द्वारका में 'द क्रिस्टल रेजिडेंसी' और 'ईडन हाइट' प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के लिए प्रेरित किया था। उक्त आवासीय फ्लैट द्वारका में 10 एकड़ भूमि में बनाया जाना था। कैंप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और शिकायतकर्ताओं के बीच एमओयू पर प्रदीप सहरावत ने हस्ताक्षर किए थे।

शिकायतकर्ताओं को 2019 में उनके फ्लैट मिलने का आश्वासन दिया गया था और शिकायतकर्ताओं के पास एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन साल के बाद नौ प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पूरी राशि वापस पाने का विकल्प भी था। जांच में पता चला कि बिल्डर ने "द क्रिस्टल रेजीडेंसी" और "ईडन हाइट्स" नाम से दो प्रोजेक्ट शुरू किए थे और अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता की

**डीडीए अनुमोदित भूमि बताकर प्रस्तावित परियोजना ईडन हाइट्स और क्रिस्टल रेजिडेंसी में फ्लैट देने के नाम पर आरोपित ने की थी पांच करोड़ रुपये की ठगी**

मेहनत की कमाई बिल्डर द्वारा वापस नहीं की गई। जांच के दौरान आर्थिक अपराध शाखा को 30 और शिकायतें प्राप्त हुईं जिन्हें एक ही में जोड़ लिया गया।

लैंड पूलिंग पालिसी की अवधारणा सरकार द्वारा की गई थी। 2013 में लैंड पूलिंग पालिसी के तहत, डीडीए व्यक्तियों, मालिकों के समूह या बिल्डर के स्वामित्व वाले भूमि पार्सल को पूल करेगा, फिर भूमि का विकास करेगा और इसे मालिकों को वापस कर देगा। यह अवधारणा शहर में, विशेष रूप से बाहरी दिल्ली इलाकों में उपलब्ध शहरी भूमि पार्सल को कुशल, टिकाऊ और न्यायसंगत तरीके से विकसित करने के बारे में था। नीति को 2018 में अधिसूचित किया गया था लेकिन ठगों ने इसे एक अवसर पाया और 2018 से सरकार के इस प्रस्ताव का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि डीडीए ने कथित कैंप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को कोई लाइसेंस नहीं दिया था। यह कंपनी लैंड पूलिंग पालिसी के तहत डीडीए में कोई जमीन जमा नहीं की थी। उक्त प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत भी नहीं था।

प्रदीप सहरावत, कृष्णा गार्डन, सेक्टर-19, द्वारका का रहने वाला है। उसने 2007 में आयरलैंड से इलेक्ट्रानिक्स में स्नातक किया था। भारत लौटकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग का व्यवसाय शुरू किया।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024 दैनिक जागरण ATED-----------------------

# 200 वर्ग गज का गांव, आबादी शून्य

आशीष गुप्ता • नई दिल्ली

गांव शब्द सुनते ही खेत-खलिहान, बाग, कच्चे-पक्के मकान और वहां की आबादी कल्पना में आती है, लेकिन उत्तर पूर्वी जिले में एक गांव ऐसा भी है, जो केवल 200 वर्ग गज का है। इसका नाम है खानपुर धनी। यह गांव दिल्ली ग्रामोदय अभियान की तैयारी में राजस्व रिकार्ड खंगालने पर मिला। दिल्ली में इससे छोटा गांव नहीं है। संभवतः देश में भी नहीं।

रिकार्ड के अनुसार, खानपुर धनी गांव की जमीन यमुना विहार बस डिपो के सामने बने पेट्रोल पंप के पास है। गांव की जमीन निजी मिल्कियत में अंकित है। जिला प्रशासन का कहना है कि पैमाइश कर जल्द जमीन चिह्नित की जाएगी।

यमुना विहार स्थित इसी पेट्रोल पंप के आसपास खानपुर धनी गांव की जमीन है, जिसे सबसे छोटा गांव कहा जा रहा है • जागरण

- **राजस्व रिकार्ड खंगालने पर मिला यह गांव**
- **यमुना विहार बस डिपो के सामने यह गांव एक प्लाट में ही खत्म**

ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के उद्देश्य से दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दो वर्गों के गांवों की सूची बनाई गई है। पहला-रूरल और दूसरा-अर्बन विलेज। खानपुर धनी रूरल विलेज है। प्रशासन के अनुसार, यह बहुत छोटा गांव है और आबादी नहीं है। इसलिए विकास की योजना नहीं बनाई जा सकती है।

**हमेशा से इतना छोटा नहीं था गांव :** यह गांव हमेशा इतना छोटा नहीं था। पुराने रिकार्ड के अनुसार, यह गांव 337 बीघा एक बिस्वा का था, जिसमें केवल 200 गज निजी व्यक्ति की थी। बाकी सरकारी जमीन थी। वर्ष 1974-75 के आसपास सरकारी योजनाओं के लिए गांव की जमीन चली गई। स्थानीय निवासियों से लेकर राजनेताओं तक को इस गांव का पता नहीं है।

"वर्ष 1994 में मेरी मां परमजीत कौर गुलाटी को यह जमीन पेट्रोल पंप के लिए डीडीए से आवंटित हुई थी। कभी खानपुर धनी गांव का नाम नहीं सुना। **कंवर मोहन सिंह गुलाटी,** पेट्रोल पंप संचालक, यमुना विहार बस डिपो के सामने

मुझे यमुना विहार में रहते 30 वर्ष से अधिक हो गए। खानपुर धनी गांव का नाम नहीं सुना। प्रशासन कह रहा है, तो गांव रहा होगा। **अजय महावर,** विधायक, यमुना विहार

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए खानपुर धनी गांव का नाम सामने आया है। इस गांव का क्षेत्रफल 200 गज है। यमुना विहार के पास गांव की जमीन है। इसमें आबादी दर्ज नहीं है।
**- अरुण कुमार मिश्रा,** डीएम, उत्तर पूर्वी जिला"

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
## LIBRARY
## PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **Hindustan Times** NEW DELHI WEDNESDAY JANUARY 10, 2024

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
## LIBRARY
## PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ हिन्दुस्तान नई दिल्ली, बुधवार, 10 जनवरी 2024 | दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
## LIBRARY
## PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, JANUARY 10, 2024 ------DATED---------------------

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

Azadi Ka Amrit Mahotsav

**VACANCY CIRCULAR**

Delhi Development Authority invites applications from the eligible officers for filling up following post by transfer on deputation:-

**Dy. Director(Ministerial)- 04 posts in Level-11 as per 7th CPC**

Officers belonging to Central/State Govt. holding analogous post OR officers with 5 years of regular service in Level-10 in Pay Matrix as per 7th CPC OR officers with 8 years' regular service in Level-8 in Pay Matrix as per 7th CPC or equivalent.

**The number of posts is subject to variation depending upon the requirement of DDA. Kindly visit DDA website i.e. https://dda.gov.in/latest-jobs for complete details regarding eligibility criteria, application format, terms and conditions etc.**

**Last date of submission of application is 15/02/2024.**

**Commissioner (Personnel)**

Please visit DDA's website at www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800-110332

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

millenniumpost
WEDNESDAY, 10 JANUARY, 2024 | NEW DELHI PERS----DATED----

# EOW arrests mastermind in Rs 5 cr land pooling policy fraud

**OUR CORRESPONDENT**

**New Delhi:** The Economic Offences Wing of Delhi Police has arrested the alleged mastermind behind a fraudulent land pooling policy scheme.

The prime suspect associated with Kamp Developers Pvt Ltd is accused of deceiving approximately 40 victims, misappropriating funds exceeding Rs 5 crore and engaging in similar fraudulent activities across six other cases.

The police received the information about the fraud through a complaint registered at the Economic Offences Wing Police Station.

The arrested accused was identified as Pradeep Sehrawat (38), son of Mool Chand Sehrawat resident of Krishna Garden, Sec-19, Dwarka, Delhi.

According to the police, the complainants detailed a scam related to the Delhi Development Authority's (DDA) Land Pooling Policy, where they were induced by Kamp Developers to invest in the projects "The Crystal Residency" and "Eden Heights" in L-Zone, Dwarka.

Investigations revealed that the builder failed to initiate development work, leaving investors without their promised flats or refunds.

Subsequently, 30 more complaints were received, leading to a consolidated investigation.

The Land Pooling Policy, initiated by the government in 2013 and notified in 2018, was exploited by Sehrawat and his associates since 2018, despite having no license or approval from DDA.

The accused company, Kamp Developers Pvt Ltd, had not submitted any land under the Land Pooling Policy, and the projects were not registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA).

The Economic Offences Wing uncovered that the funds collected from home-buyers were siphoned off through misappropriation. The arrest follows a case registered on February 11, 2021, under sections 406/409/420/120B of the Indian Penal Code.

The arrest was executed by a dedicated team of the Economic Offences Wing of the Delhi Police on Friday.

The accused, with a background in B.E. (Electronics) from Ireland, worked with Intel before venturing into stock market trading.

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS 10 जनवरी • 2024 राष्ट्रीय सहारा

# लैंड पूलिंग पॉलिसी धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** लैंड पूलिंग पॉलिसी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड प्रदीप सहरावत को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत आर्थिक अपराध शाखा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लगभग 40 लोगों को धोखा दिया और पांच करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का दुरु पयोग किया। पुलिस की गिरफ्त मे आए आरोपी की शिनाख्त प्रदीप सहारवत के रूप में हुई है।

■ 40 लोगों को धोखा देकर पांच करोड़ से अधिक रुपए का दुरुपयोग किया

■ कैम्प डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और शिकायतकर्ताओं के बीच एमओयू पर प्रदीप सहरावत ने किए थे हस्ताक्षर

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ताओं नें आरोप लगाया कि उन्हें कैम्प डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों ने प्रेरित किया था। कम्पनी को एल-जोन, द्वारका में 'द क्रिस्टल रेजीडेंसी' और 'ईडन हाइट' प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदना था, जिसे द्वारका में 10 एकड़ भूमि में बनाया जाना था। कैम्प डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और शिकायतकर्ताओं के बीच एमओयू पर कथित प्रदीप सहरावत ने हस्ताक्षर किए। सभी शिकायतकर्ताओं को 2019 में फ्लैट मिलने का आश्वासन दिया गया था। शिकायत कर्ताओं के पास एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन साल के बाद 9 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पूरी राशि वापस पाने का विकल्प भी था। एमओयू में प्रति वर्ग फुट लागत के साथ प्रतिफल राशि के साथ-साथ फ्लैट/आवासीय इकाई का विवरण भी अंकित किया गया था।

पुलिस पूछताछ में पता चला कि बिल्डर ने 'द क्रिस्टल रेजीडेंसी' और 'ईडन हाइट्स' नाम से दो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लेकिन अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। शिकायत कर्ता की मेहनत की कमाई भी बिल्डर ने वापस नहीं की। मामले की छानबीन के दौरान 30 और शिकायतें प्राप्त हुई और सभी शिकायतों को उक्त मामले की जांच के साथ जोड़ दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी (एलपीपी) की अवधारणा सरकार द्वारा की गई थी। वर्ष 2013 में लैंड पूलिंग पॉलिसी (एलपीपी की नीति) के तहत, डीडीए व्यक्तियों, मालिकों के समूह या बिल्डर के स्वामित्व वाले भूमि पार्सल को पूल करेगा, फिर भूमि का विकास करेगा।

# अवैध पार्किंग से निगम को लग रही लाखों की चपट

■ आदर्श शर्मा

नई दिल्ली।

एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट गांधीनगर के पुस्ता रोड और गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने पिछले एक साल से अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। इसके चलते हर महीने निगम को 10 से 15 लाख रुपए का चूना लग रहा है।

पार्किंग माफिया यमुना खादर में भी अवैध पार्किंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में ट्रकों कीलोडिंग-अनलोडिंग भी हो रही है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डीडीए सब कुछ जानकर अनजान बने हैं। गांधीनगर मार्केट में बाहर से आने वाले लोगों से एक-एक घंटे के 50 से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट की नौबत आ जाती है। गीता कॉलोनी शमशान घाट से कैलाश नगर तक अवैध पार्किंग अवैध पार्किंग का धंधा फल-फूल रहा है।

■ गांधीनगर मार्केट, गीता कॉलोनी श्मशान व यमुना नगर खादर में हो रही अवैध पार्किंग

आरपी सेल के उपायुक्त अमित कुमार ने भी माना कि गांधीनगर पुस्ता रोड पर अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। अवैध पार्किंग खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस व डीडीए को जानकारी दे दी गई है। शीघ्र ही इसका टेंडर किया जाएगा।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
## LIBRARY
## PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI ▸ 10 जनवरी, 2024 ED------------------------

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

### रिक्ति परिपत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण **स्थानांतरण द्वारा** प्रतिनियुक्ति **पर** निम्नलिखित **पद भरने के** लिए पात्र अधिकारियों **से आवेदन** आमंत्रित करता है.

**उप निदेशक (लिपिक वर्गीय)–04 पद, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल–11**

केन्द्र / राज्य सरकार के सदृश पदधारी अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिनकी सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल–10 वेतन मैट्रिक्स में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो अथवा ऐसे अधिकारी, जिनकी सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल–8 वेतन मैट्रिक्स में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो अथवा समकक्ष।

पदों की संख्या में डी.डी.ए. की **आवश्यकता के आधार पर** परिवर्तन किया जा **सकता** है। **कृपया पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप, निबंधन एवं शर्तों आदि से संबंधित पूर्ण जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट अर्थात् https://dda.gov.in/Latest-jobs** देखें।

**आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.02.2024 है।**

**आयुक्त (कार्मिक)**

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट–www.dda.gov.in देखें अथवा टोल फ्री न० 180110332 डायल करें।"